/

बिहार सरकार
कृषि विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या–06/स्था0नियमावली–05/13 (अंश–I) 1300 दिनांक– 28-11-2014.

भारत के संविधान के अनुच्छेद– 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–

(i) यह नियमावली बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) सेवा नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. परिभाषा ।– इस नियमावली में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(i) 'विभाग' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग,
(ii) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) का संवर्ग,
(iii) 'वर्ष' से अभिप्रेत है "वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक" की अवधि,
(iv) 'आयोग' से अभिप्रेत है "बिहार कर्मचारी चयन आयोग"
(v) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) में नियुक्त व्यक्ति,
(vi) 'नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, कृषि निदेशक, बिहार, पटना,
(vii) 'निदेशक का तात्पर्य है कृषि निदेशक, बिहार, पटना,

3. संवर्ग नियंत्रण।–यह सेवा एक राज्य सेवा होगी तथा कृषि विभाग इस संवर्ग का नियंत्री विभाग होगा।

4. संवर्ग का गठन एवं पदसोपान ।–

(1) (क) पौधा संरक्षण संरक्षक– मूल कोटि का पद
(ख) पौधा संरक्षण सर्वेक्षक– प्रथम प्रोन्नति का पद
(ग) पौधा सरंक्षण पदाधिकारी– द्वितीय प्रोन्नति का पद
(2) संवर्ग की संरचना एवं आकार की समीक्षा विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार की जा सकेगी।
(3) उक्त पदो के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित वेतनमान एवं ग्रेड पे देय होगा।

5. नियुक्ति एवं प्रोन्नति ।–

(1) **मूल कोटि** के सभी स्वीकृत पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे।
(2) **पौधा संरक्षण सर्वेक्षक**– इस संवर्ग के 67 प्रतिशत पदों को सीधी नियुक्ति से भरा जायेगा। 33 प्रतिशत पद पौधा संरक्षण संरक्षक को पदोन्नत कर भरे जायेगें।
(3) **पौधा संरक्षण पदाधिकारी**–इस संवर्ग के 67 प्रतिशत पदों को सीधी नियुक्ति से भरा जायेगा। 33 प्रतिशत पद पौधा संरक्षण सर्वेक्षक को पदोन्नत कर भरे जायेगें।
(4) प्रति वर्ष 1 ली अप्रैल को संवर्ग में स्वीकृत पदों के विरूद्व प्रोन्नति के लिए तथा सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना अलग–अलग की जायेगी। यह गणना

पदों के आधार पर की जायेगी अर्थात सीधी नियुक्ति के पदों के रिक्त होने पर इन्हें सीधी नियुक्ति द्वारा तथा प्रोन्नति के पदों के रिक्त होने पर इन्हें प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

6. **शैक्षणिक योग्यता** ।–

(क) पौधा संरक्षण संरक्षक– संवर्ग में मूल कोटि के सभी पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 विज्ञान के साथ।

(ख) पौधा संरक्षण सर्वेक्षक– इस पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता कृषि स्नातक अथवा बी0एस0सी0 (रसायन, वनस्पति अथवा जन्तु विज्ञान सहित) होगी।

(ग) पौधा संरक्षण पदाधिकारी –यह पद बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, (पौधा संरक्षण) के अन्तर्गत सबसे उपर का पद होगा। इस पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता कृषि स्नातक अथवा बी0एस0सी0 (रसायन, वनस्पति अथवा जन्तु विज्ञान सहित) होगी।

7. **सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति** ।–

(क) सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के बीच से की जायेगी।

(ख) **उम्र सीमा** – आवेदन हेतु न्यूनतम आयु एवं अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए समय–समय पर अवधारित की जाय, परन्तु विशेष परिस्थिति में उसका कारण अभिलिखित करते हुए विभाग इसे बढ़ा सकेगा।

(ग) **आरक्षण** – सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए समय–समय पर अवधारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

(घ) सीधी नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा सामान्य एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के साथ अधियाचना प्रत्येक वर्ष आयोग को भेजी जायेगी।

(ड़) **प्रतियोगिता परीक्षा के विषय तथा पाठ्यकम** – प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित पत्र होगें :–

पौधा संरक्षण संरक्षक–

(i) हिन्दी –100 अंक

(ii) 10+2 विज्ञान संबंधित विषय। –400 अंक का

(iii) सामान्य ज्ञान –100 अंक का

पौधा संरक्षण सर्वेक्षक –

(i) हिन्दी –100 अंक

(ii) स्नातक स्तरीय शैक्षणिक अर्हता से संबंधित विज्ञान विषय के दो पत्र प्रत्येक पत्र 200 अंक का –कुल 400 अंक का

(कृषि स्नातक एवं अन्य विषय के स्नातक के लिए अलग–अलग पत्र होंगे)।

(iii) सामान्य ज्ञान –100 अंक का

पौधा संरक्षण पदाधिकारी –

(i) हिन्दी –100 अंक

(ii) स्नातक स्तरीय शैक्षणिक अर्हता से संबंधित विज्ञान विषय के दो पत्र प्रत्येक पत्र 200 अंक का –कुल 400 अंक का

(कृषि स्नातक एवं अन्य विषय के स्नातक के लिए अलग–अलग पत्र होंगे)।

(iii) सामान्य ज्ञान –100 अंक का

इसमें हिन्दी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु, इस पत्र में प्राप्तांक की गणना मेधा सूची के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी। मेधा सूची (ii) में उल्लेखित विषय के 200–200 अंकों कुल 400 अंकों के पत्र में तथा (iii) सामान्य ज्ञान के 100 अंको के पत्र यानि उपरोक्त कुल–500 अंको में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसके द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अवधारित की जाय। उपरोक्त (ड़) (ii) के 200 अंको के पत्र का पाठ्यक्रम विभाग आयोग के परामर्श से अवधारित किया जायगा।

(च) **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा** – आयोग लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सामान्य तथा प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अलग–अलग मेधा सूची तैयार करेगा। ऐसी तैयार की गयी सूचियों में से आयेाग प्रतिवेदित रिक्तियों के अनुसार अनुशंसा विभाग को करेगा।

8. परिवीक्षा ।–

(i) सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक सदस्य पदग्रहण की तिथि से दो वर्षो की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करते हुए, यह अवधि विभाग के द्वारा एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। यदि बढ़ाई गयी अवधि में भी उसका कार्य संतोषप्रद नहीं हो तो उसकी सेवा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा बिना कारण पृच्छा के समाप्त की जा सकेगी, परन्तु इसकी लिखित सूचना कारण सहित उसे दी जाएगी।

(ii) परिवीक्षाधीन अवधि की गणना नियमित सेवा में की जायेगी।

9. प्रशिक्षण ।– बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संक्षण) में नियुक्त सदस्यों के लिए प्रोन्नति हेतु विभाग द्वारा अवधारित प्रशिक्षण संस्थान से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण संस्थानों का चयन समय–समय पर विभाग द्वारा किया जायेगा।

कृषि विभाग द्वारा सेवाकालीन/प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अधिकारी को भाग लेना होगा। उक्त आधार पर प्रोन्नति का लाभ अनुमान्य होगा। परन्तु, विभाग द्वारा ससमय प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किये जाने की स्थिति में प्रोन्नति वाधित नहीं होगी।

10. विभागीय परीक्षा ।–

(1) कर्मियों को राजभाषा विभाग, बिहार द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा तथा कृषि विभाग, बिहार द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(2) कर्मियों को मूल कोटि के वेतनमान में द्वितीय वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता एवं सेवा संपुष्टि के उपरान्त ही देय होगी।

(3) कर्मियों के वेतनवृद्धि में यह रूकावट असंचयात्मक होगी और परीक्षा में उत्तीर्णता के उपरान्त रोकी गयी वेतनवृद्धियॉ दे दी जायेंगी।

(4) कर्मियों के 50 (पचास) वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता से विमुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के अधीन दी जा सकेगी।

11. सेवा सम्पुष्टि ।–

(i) परिवीक्षा की समाप्ति, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता तथा अवधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने पर तथा सेवा स्वच्छ पाये जाने पर सीधी नियुक्ति

के सदस्यों की सेवा स्थायी संवर्गीय पदों के विरूद्ध मूल कोटि में सम्पुष्ट की जाएगी।

(ii) प्रोन्नति से मूल कोटि में नियुक्त सदस्यों की उप नियम (i) के अधीन वर्णित शर्त्तों (परिवीक्षा को छोड़कर) पर सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

12. **वरीयता का अवधारण ।–** वरीयता का अवधारण समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवधारण नीति के आलोक में किया जाएगा।

13. **मूल कोटि से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति ।–**

(i) सेवा संवर्ग के पदसोपान में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति ठीक नीचे की पंक्ति में कार्यरत कर्मियों से वरीयता के आधार पर तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों के आलोक में दी जाएगी। लेकिन, कर्मियो को कंडिका–9 में प्रावधानित प्रशिक्षण में भाग लेने पर ही प्रोन्नति देय होगी। परन्तु विभाग/संस्थान द्वारा ससमय प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।

(ii) कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मी की मूल कोटि में सम्पुष्टि, गोपनीय अभियुक्ति, आंतरिक स्वच्छता, निगरानी स्वच्छता एवं लोकायुक्त का प्रतिवेदन, निर्धारित कालावधि, आरक्षण, पदों की उपलब्धता आदि पर विचार करते हुये वरीयता के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रोन्नति दी जायेगी।

(iii) **विभागीय प्रोन्नति समिति** – विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा। विभागीय प्रोन्नति समिति अलग से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्पों/अनुदेशों के आलोक में गठित की जायेगी।

14. **प्रकीर्ण –कठिनाई का निराकरण ।–**

(1) इस नियमावली के किसी नियमों का निर्वचन सामान्य प्रशासन विभाग/ विधि विभाग/ वित्त विभाग के परामर्श से करने में सक्षम होगा।

(2) विभाग इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में आने वाली कठिनाई का निराकरण राजपत्र में समुचित आदेश जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, द्वारा कर सकेगा।

(3) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत संहिता/ नियमावली/ संकल्प/ अनुदेश में किये गये प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में भी लागू होंगें।

15. **निरसन एवं व्यावृति ।–**

(1) इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति/ सेवा शर्त संबंधी पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/ अनुदेश/ संकल्प एतद द्वारा निरसित किये जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व निर्गत परिपत्र/ अनुदेश/ संकल्प के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जब वैसा कुछ किया या वैसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव।